अनुलग्नक– 05 (क) (द्रष्टव्य कंडिका 2.4a)

(क) साहाय्य कार्यों में लगे दैनिक मजदूरी के दर का निर्धारण संबंधी पत्र

पत्रांक–Iप्रा0आ0–19/2007 3438 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक– 17/11/2009

विषयः **साहाय्य कार्य में लगे नाविकों के दैनिक मजदूरी के दर का निर्धारण करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–2020 दिनांक 22.07.2009 द्वारा साहाय्य कार्य में लगे नाविकों के लिए मजदूरी की दर 129 (एक सौ उनतीस) रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गयी थी। परन्तु श्रम संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 01.10.2009 के प्रभाव से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता लागू किये जाने के फलस्वरूप श्रम विभागीय अधिसूचना संख्या 3521 दिनांक 29.09.09 के अनुसार प्राईवेट फेरीज एवं एल0टी0सी0 के कुशल श्रेणी के कामगारों हेतु 132.00 रूपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है। अतएव निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.10.2009 के प्रभाव से साहाय्य कार्य में लगे नाविकों की दैनिक मजदूरी रू॰ 132.00 (एक सौ बत्तीस रूपया) होगी।

यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्राईवेट फेरीज एवं एल0टी0सी0 के कुशल श्रेणी के कामगारों के लिए निर्धारित मजदूरी संबंधी अधिसूचना के अनुसार ही साहाय्य कार्य में लगे नाविकों को मजदूरी देय होगी।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

Sd/- 16/11

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 3438 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/11/2009

प्रतिलिपिः संयुक्त श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 3542 दिनांक 30.09.2009 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 16/11
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 3438 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/11/2009

प्रतिलिपिः मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 16/11
प्रधान सचिव